क्रम संख्या—202

रजि० नं० एल. डब्लू. एन. पी. 561

लाइसेन्स नं० डब्लू० पी०-41

लाइसेन्स टू पोस्ट एट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 17 फरवरी, 1995

माघ 28, 1916 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग-1

संख्या 409/सत्रह-वि-1-1(क)4-1995

लखनऊ 17, फरवरी, 1995

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराये तथा बेदखली का विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 1995 पर दिनांक 15 फरवरी, 1995 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 सन् 1995 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराये तथा बेदखली का विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 1995

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 सन् 1995)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराये तथा बेदखली का विनियमन) अधिनियम, 1972 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के छियालीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराये तथा बेदखली का विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 1995 कहा जायेगा। संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(2) यह 26 सितम्बर, 1994 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० 13 सन् 1972 की धारा 2 का संशोधन

2--उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराये तथा बेदखली का विनियमन) अधिनियम, 1972 को, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 2 में,--

(क) उपधारा (1) में,--

(एक) खण्ड (क) में, शब्द "सार्वजनिक क्षेत्र का कोई निगम" के पश्चात् शब्द "या कोई कन्टोनमेन्ट बोर्ड" रख दिये जायेंगे ;

(दो) खण्ड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्--

"(ख) किसी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था के या उसमें निहित किसी भवन पर;" ;

(तीन) खण्ड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिये जायेंगे, अर्थात्--

"(खख) किसी सार्वजनिक पूर्त या सार्वजनिक धार्मिक संस्था के या उसमें निहित किसी भवन पर ;

(खखख) किसी वक्फ, जिसमें वक्फ-अलल-औलाद भी सम्मिलित है, के या उसमें निहित किसी भवन पर ;" ;

(चार) खण्ड (च) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिये जायेंगे, अर्थात्--

"(छ) किसी ऐसे भवन पर जिसका मासिक किराया दो हजार रुपये से अधिक हो ;

(ज) किसी ऐसे भवन पर जिसका कोई विदेशी मिशन या कोई अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरण किरायेदार हो ;" ;

(ख) उपधारा (3) निकाल दी जायेगी।

U. P. Ordinance no. 19 of 1994

धारा 3 का संशोधन

3--मूल अधिनियम की धारा 3 में, खण्ड (घ) में, शब्द "और इसमें वक्फ भी सम्मिलित है जो वक्फ-अलल-औलाद न हो" निकाल दिये जायेंगे।

निरसन और अपवाद

4--(1) उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराये तथा बेदखली का विनियमन) (संशोधन) अध्यादेश, 1994 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुये भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

आज्ञा से,

नरेन्द्र कुमार नारंग,

प्रमुख सचिव।

No. 409(2)/XVII-V-1—1 (KA) 4-1995

Dated Lucknow, February 17, 1995

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Shahari Bhavan (Kiraye Per Dene, Kiraye Tatha Bedakhali Ka Viniyaman) (Sanshodhan) Vidheyak, 1995 (Uttar Pradesh Adhidiyam Sankhya 5 of 1995) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on February 15, 1995.

THE UTTAR PRADESH URBAN BUILDINGS (REGULATION OF LETTING, RENT AND EVICTION) (AMENDMENT) ACT 1995

(U. P. Act no. 5 of 1995)

[*As passed by the U. P. Legislature*]

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Urban Buildings (Regulation of Letting, Rent and Eviction) Act, 1972.

It is hereby enacted in the Forty-sixth Year of the Republic of India as follows :—

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Urban Buildings (Regulation of Letting, Rent and Eviction) (Amendment) Act, 1995.

(2) It shall be deemed to have come into force on September 26, 1994.

Amendment of Section 2 of U P Act no. 13 of 1972

2. In section 2 of the Uttar Pradesh Urban Buildings (Regulation of Letting, Rent and Eviction) Act, 1972, hereinafter referred to as the principal Act,—

(*a*) in subsection (1),–

(i) in clause (*a*), *after* the words "a public sector corporation", the words "or a Cantonment Board" shall be *inserted*;

(ii) in clause (*b*), the words "the whole of the income from which is utilised for the purpose of such institution" shall be *omitted*.

(iii) *after* clause (*b*), the following clauses shall be *inserted*, namely :—

"(*bb*) any building belonging to or vested in a public charitable or public religious institution ;

(*bbb*) any building belonging to or vested in a waqf including a waqf-alal-aulad ;" ;

(iv) *after* clause (*f*), the following clauses shall be *inserted*, namely :—

"(*g*) any building, whose monthly rent exceeds two thousand rupees ;

(*h*) any building of which a Mission of a foreign country or any international agency is the tenant ;";

(*b*) sub-section (3) shall be *omitted*.

Amendment of section 3

3. In section 3 of the principal Act, in clause (*s*), the words "and includes a waqf not being a waqf-alal-aulad" shall be *omitted*.

U. P. Ordinance no. 19 of 1994

Repeal and savings

4. (1) The Uttar Pradesh Urban Buildings (Regulation of Letting, Rent and Eviction) (Amendment) Ordinance, 1994 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1), shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act as if the provisions of this Act were inforce at all material times.

By order,
N. K. NARANG,
Pramukh Sachiv.

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० 283 सा० (विधा०)-(3631)—1995—850 (सेट०)।

SCHEDULE—(*Concld.*)

1	2		3	
Grant/ Serial no.	Services and purposes		Sums not exceedi (In thousands of rupe	
			Voted by the Legislative Assembly	*Charged* on Consolidated Fund of the State
80	Social Welfare Department (Welfare of Scheduled caste and Backward classes)	Revenue	74,38,38	*1*
		Capital	62,67	...
81	Social Welfare Department (Tribal Welfare)	Revenue	1,54,41	*1*
		Capital	1	...
82	Vigilance Department	Revenue	1,89,55	*11,26*
		Capital	...	...
83	Relief and Rehabilitation Department	Revenue	2,60	*1*
		Capital	1	...
84	General Administration Department	Revenue	13,56	*1*
		Capital	...	...
85	Public Enterprises Department	Revenue	20,34	...
		Capital	...	...
86	Information Department	Revenue	5,75,58	...
		Capital	...	...
87	Soldier's Welfare Department	Revenue	2,76,28	*1*
		Capital	...	...
88	Institutional Finance Department (Directorate)	Revenue	20,34	*1*
		Capital	12,00	...
89	Institutional Finance Department (Trade Tax)	Revenue	23,43,03	*38*
		Capital	56,67	...
90	Institutional Finance Department (Entertainment and Betting Tax)	Revenue	1,01,71	...
		Capital	...	...
91	Institutional Finance Department (Stamps and Registration)	Revenue	4,31,53	*1*
		Capital	...	...
92	Cultural Affairs Department	Revenue	2,29,36	*1*
		Capital	...	...
93	Irrigation Department (Establishment)	Revenue	88,41,05	*33*
		Capital	35,87,35	...
94	Irrigation Department (Works)	Revenue	2,21,13,69	*1*
		Capital	2,67,62,65	*33*
95	Uttarakhand Development Department	Revenue	60,29,90	*4,40*
		Capital	27,79,89	*6,33*
	Total	Revenue	42,81,01,98	*13,05,59,48*
		Capital	16,89,25,04	*8,15,64,79*
	GRAND TOTAL		59,70,27,02	*21,21,24,27*

By order,
N. K. NARANG
Pramukh Sachiv

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० 295 सा० विभा०—(3840)—1995—850 (सेक०)।